न्यायालय उप तहसीलदार (राजस्व) मुकलावा

प्रकरण संख्याः– 74/19 सरकार बनाम रांझा सिंह

निर्णय

दिनांकः–23.09.2019

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। कि श्री रांझा सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह सिंह जाति बावरी निवासी 9 टीके नें फसल खरीफ सम्वत 2076 में गांव/चक न. 9 टीके के मु.न. 44 में 0.025 हैक्टे फसल कुल 0.025 हैक्टे0 भूमि गैर मुमकिन रास्ता में अतिक्रमण कर अवैध काश्त की है।

अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत मामला दर्ज रजिस्टर कर उसे नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वयं पर नोटिस की तामील हुई है। अप्रार्थी द्वारा उपस्थित आकर जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही किये जानें के आदेश दिये जाते है।

अप्रार्थी द्वारा राजकीय भूमि गैर मुमकिन रास्ता चक 9 टी.के के मु.न. 44 में 0.025 हैक्टे मे मूंग काश्त कर रखा है । अतः राजकीय भूमि गैर मुमकिन रास्ता पर अवैध काश्त करने से अतिक्रमी साबित है। अप्रार्थी को उक्त भूमि पर अवैध काश्त करने से अतिक्रमी धोषित किया जाता है। अप्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। एवं कुर्क शुदा फसल को निलाम कर बाद अनुमोदन करवाकर राशी राजकोष में जमा करवानें के व अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से काश्त की गई फसल को कुर्क कर बहक राज्य सरकार जब्त करने के आदेश दिये जाते है। एवं अप्रार्थी पर मालगुजारी व मालकावा दर 8 रू प्रति हैक्टे0 रूपये 0.06 का 50 गुणा पैनल्टी शुल्क में 10 रू अखरे दस रूपये अधिरोपित की जाती है।

भू– अभिलेख निरीक्षक हल्का को कुर्क शुदा फसल को निलाम करने एवं अवैध कब्जा को हटाने हेतु लिखा जावे। एवं अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार लेने हेतु लिखा जावे एवं अन्दर तीन दिवस में बेदखली रिपोर्ट पेश करें। टी.आर.ए को पैनल्टी की मॉग कायमी करवाई जावे। पटवारी हल्का को पैनल्टी राशि की वसूली हेतू लिखा जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप तहसीलदार(राजस्व)
मुकलावा

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya Chawla
Date: 2019.12.27 13:41:21 IST
Reason: SelfAttested